एपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

पंजीकृत कार्यालय : ए-223, ओखला ओद्योगिक क्षेत्र, फेस-1 नई दिल्ली-110020
सीआईएनः U74899DL1978NPL008877 टेलीफोनः 011-40501798
ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com

असाधारण आम बैठक की सूचना

परिषद की असाधारण आम बैठक (ईजीएम), ईजीएम के नोटिस दिनांक 30.01.2024 में यथा निर्धारित बिज़नेस के संचालन के लिए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. क्रमशः 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2021, 02/2022 और 09/2023 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 05 मई, 2022 तथा 25 सितंबर, 2023 तथा अन्य लागू परिपत्रों के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, 01 मार्च, 2024, शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे, सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के साथ आयोजित की जायेगी।

सदस्य ध्यान दें कि परिषद के सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक हो चुकी है। अतः कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 के नियम 20(2) के साथ पठित धारा 108 के अनुसार असाधारण आम बैठक में होने वाले समस्त प्रस्तावों का निष्कर्ष ई-वोटिंग के माध्यम से सम्पन्न होगा।

यह भी ध्यान दें कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के अनुसार उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस असाधारण आम बैठक में उपलब्ध नहीं है। किन्तु निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने तथा वहाँ भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।

इससे पहले, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. 12/1/2027-ईएंडएमडीए दिनांक 10.05.2023, ओएम दिनांक 27.06.2023 के साथ पठित, के तहत नए दिशानिर्देशों जारी होने तक ईपीसी के पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रकिया पर रोक लगा दी थी और यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में भी सूचित किया था। वाणिज्य विभाग ने पत्र दिनांक 22.12.2023 के तहत ईपीसीज/एफआईईओ द्वारा संकलित किये जाने हेतु अंतिम संगम अनुच्छेद/उप नियमों को परिचालित किया और केवल नए मॉडल उप-नियमों के अनुरूप चुनाव कराने हेतु निर्देशित किया।

तदनुसार, परिषद की कार्यकारी समिति ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 23.01.2024 को हुई अपनी बैठक में नए मॉडल संगम अनुच्छेद/उप-नियमों के अनुसार कार्यकारी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए, जो कि 27.12.2023 को आयोजित 44वीं एजीएम में सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी थे, परिषद की असाधारण आम बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 01 मार्च, 2024 (शुक्रवार) को दोपहर 12.00 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया।

कार्यकारी समिति की संरचना को वर्तमान 28 निर्वाचित सदस्यों (पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र से प्रत्येक से 9 सदस्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र से एक सदस्य) से बढ़ाकर 33 निर्वाचित सदस्य करने का भी निर्णय लिया गया, अर्थात 5 सीटों को निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षित रखा जायेगाः-

i) महिला उद्यमी- (आरक्षित सीटों की संख्या दो है)
ii) स्टार्टअप (आरक्षित सीटों की संख्या एक है)
iii) युवा उद्यमी (आरक्षित सीटों की संख्या एक है)
iv) उत्तर पूर्व/पहाड़ी क्षेत्र (आरक्षित सीटों की संख्या एक है)

कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचल नियमावली के नियम 11 के संदर्भ में और एलपीए नं. 368/2016 और सीएम. नं. 31009/2016 शीर्षक अफोर्डेबल एक्सपोर्टर्स बनाम अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एवं अन्य के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2017 के अनुरूप, एईपीसी सदस्य, ऊपर संदर्भित आरक्षित श्रेणियों से सहित, जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, कार्यकारी समिति के कार्यालय में चुनाव में भाग लेने के लिए रू 1,00,000/- (केवल एक लाख रूपये) जमा करने के उपरांत अपने नामांकन पत्र भौतिक रूप से परिषद के पंजीकृत कार्यालय में 16.02.2024 को कार्य के घण्टे समाप्त होने तक प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा रू 1,00,000/- (केवल एक लाख रूपये) के इलेक्ट्रॉनिक डिपाजिट/विवरणों के साथ अपने नामांकन पत्र sumit.gupta@aepcindia.com पर ई-मेल के जरिए 16.02.2024 को कार्य के घण्टे समाप्त होने तक प्रस्तुत कर सकते हैं. यह जमा राशि केवल ऐसे सदस्य को लौटाई जायेगी जो या तो कार्यकारी समिति के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने में सफल हो जायेंगे अथवा ई-वोटिंग के जरिए डाले गये कुल वैध मतों में से 25% से अधिक प्राप्त कर लेते हैं।

इसके अलावा, कार्यकारी समिति के सदस्यों की चुनाव नियमावली के नियम 14 के अनुसरण में कार्यकारी समिति के सदस्य के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपने नामांकन फार्म में किए गए हस्ताक्षरों के समान हस्ताक्षर युक्त फार्म-2 को प्रस्तुत करके, अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन वापसी के ऐसे अनुरोध परिषद के पंजीकृत कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यलय में दिनांक 19.02.2024 को व्यवसाय समय समाप्त होने अथवा नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अथवा इन्हें दिनांक 19.02.2024 को समय समाप्त होने तक ई-मेल पते sumit.gupta@aepcindia.com के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें उल्लिखित निर्धारित समयावधि में नामांकन वापस लिए जाने की स्थिति में नामांकन के लिए जमा करवाई गई धनराशि की धनवापसी कर दी जाएगी।

चुनाव लड़ने वाले सदस्य कृपया परिषद की वेबसाइट यानी www.aepcindia.com से कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म के साथ चुनाव नियम देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

एफटीपी 2023-28 की प्रक्रिया की हैंडबुक के पैराग्राफ 2.77 और 2.78 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों के नियम 20 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 ("नियम") द्वारा संशोधित 2014 के अनुसार, परिषद अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईजीएम में अपना वोट डाल सकेंगे। संकल्प, जैसा कि ईजीएम के नोटिस में निर्धारित किया गया है।

असाधरण आम बैठक ("रिमोट ई-वोटिंग") के अलावा किसी अन्य स्थल से सदस्यों को अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग से करने तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

अधिनियम तथा नियमावली के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने वाले अनुपालन का विवरण नीचे दिया गया है:

क) असाधारण आम बैठक के संबंध में दिनांक 30 जनवरी, 2024 के नोटिस में सूचीबद्ध सभी संकल्पों पर केवल इलैक्ट्रानिक विधियों से ही संव्यवहार किया जाना है।

ख) रिमोट ई–वोटिंग दिनांक 27 फरवरी, 2024 (मंगलवार) को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी तथा दिनांक 29 फरवरी, 2024 (बृहस्पतिवार) को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। दिनांक 29 फरवरी, 2024 को सायं 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग) रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने असाधारण आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग करने की पात्रता का निर्धारण करने की कट–ऑफ तिथि 23 फरवरी, 2024 (शुक्रवार) है, तथा तदनुसार जिन सदस्यों का नाम कट–ऑफ तिथि को परिषद द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वही सदस्य रिमोट ई–वोटिंग एवं असाधारण आम बैठक में साथ वोट कर सकेंगे।

घ) नोटिस के प्रेषण के पश्चात यदि कोई कट–ऑफ तिथि अर्थात 23 फरवरी, 2024 तक सदस्यता धारण करता है तो वह evoting@nsdl.com के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

ङ) सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे असाधारण आम बैठक के नोटिस में दिए गए प्रत्येक नोट एवं विशेषतः असाधारण आम बैठक में भाग लेने के निर्देशों, रिमोट ई–वोटिंग अथवा असाधारण आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग के दौरान वोट डालने के तरीके का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

च) असाधारण आम बैठक का नोटिस परिषद की वेबसाइट www.aepcindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

छ) यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) तथा शेयरधारकों के ई–वोटिंग उपयोक्ता मैनुअल से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बरः 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.com को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई –400013 में श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से उनके निर्दिष्ट ईमेल पतेः evoting@nsdl.com अथवा amitv@nsdl.com अथवा pallavid@nsdl.com अथवा टेलीफोन नम्बरः +91-022-48867000 अथवा +91-022-24997000, पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग करने से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे।

ज) सदस्य, कृपया यह ध्यान दें कि : क) एनएसडीएल द्वारा ऊपर उल्लिखित तिथि एवं समय के अनुसार रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा तथा किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के पश्चात उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति सदस्य को नहीं दी जाएगी; ख) असाधारण आम बैठक में भाग लेने से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट कर चुके सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु असाधारण आम बैठक के आयोजन के दौरान उन्हें ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः वोट देने की अनुमति नहीं होगी; ग) असाधारण आम बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्यों को असाधारण आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की अनुमति प्राप्त होगी, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं दिया है; तथा घ) ऐसे व्यक्ति को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने, असाधारण आम बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों के माध्यम से भाग लेने तथा असाधारण आम बैठक में ई–वोटिंग करने की अनुमति प्राप्त होगी, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि तक परिषद में अनुरक्षित रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है।

झ) इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 91 के उपबंधों के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर असाधारण आम बैठक के उद्देश्य से रविवार, दिनांक 24 फरवरी, 2024 से 01 मार्च, 2024 (दोनों दिन सहित) तक बंद रखा जाएगा।

कृते एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
सुमित गुप्ता
(सेक्रेटरी)

दिनांक : 01.02.2024
स्थान : नई दिल्ली

Jansatta – 02-02-2024